**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 879**
**दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**अस्पताल बिलिंग संबंधी प्रक्रियाओं का मानकीकरण**

**879. श्री हरीभाई पटेल:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने अस्पताल बिलिंग संबंधी प्रक्रियाओं के मानकीकरण हेतु प्रयास शुरू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) अस्पताल बिलिंग संबंधी मानकीकरण के संबंध में उद्योग निकायों और हितधारकों के साथ हुए परामर्श का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पर अपनी जेब से होने वाले, विशेषकर औषधि संबंधी व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;
(घ) स्वास्थ्य पर अत्यधिक व्यय के कारण लोगों को गरीबी में धकेले जाने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं; और
(ङ) क्या सरकार की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी लागतों पर चिकित्सा मुद्रास्फीति के प्रभाव के संबंध में व्यापक अध्ययन कराने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री**
**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) और (ख): जी हाँ, भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय मानक का प्रस्तावित प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञों का कार्य समूह गठित किया है। उद्योग निकाय भी इस कार्य समूह का भाग हैं।

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2021-22 के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) के प्रतिशत के रूप में जेब से होने वाला व्यय (ओओपीई) 39.4% है। देश में वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए टीएचई के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर जेब से होने वाला व्यय क्रमशः 48.8%, 48.2%, 47.1%, 44.4% और 39.4% है और इसलिए टीएचई के प्रतिशत के रूप में जेब से होने वाले व्यय में गिरावट हुई है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने लोगों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और जेब से होने वाले व्यय को कम करने के लिए राज्य के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए कई पहल की हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, सरकार ने लोगों को सुलभ और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में राज्य सरकारों का समर्थन करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का आरंभ

स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के परिचालन के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित और हाशिए पर रह रहे समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और सुलभता में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय निःशुल्क दवा सेवा पहल और राष्ट्रीय निःशुल्क निदान सेवा को आवश्यक दवाओं और निदान सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर आने वाले रोगियों के जेब से होने वाले व्यय (ओपीपीई) को कम करने के लिए शुरू किया गया है।

सरकार ने मिशन मोड परियोजनाएं अर्थात् प्रधान मंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्ववर्ती एबी-एचडब्ल्यूसी) और प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) नामतः शुरू की हैं।

पीएम-एबीएचआईएम को प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों की क्षमता विकसित करने, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को सुदृढ़ करने और नई तथा उभरती बीमारियों का पता लगाने और उनका उपचार करने के लिए नए संस्थान बनाने के मिशन के रूप में शुरू किया गया था। पीएम-एबीएचआईएम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटक शामिल हैं और इसका परिव्यय 64,180 करोड़ रुपए है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को बदलकर 22 नवंबर, 2024 तक कुल 1,75,180 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्थापित और संचालित किए जा चुके हैं। एएएम का उद्देश्य व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तारित श्रृंखला प्रदान करना है जिसमें प्रजनन और बाल परिचर्या सेवाओं, संचारी रोगों, गैर-संचारी रोगों और सभी स्वास्थ्य मुद्दों को शामिल करते हुए निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं, जो सार्वभौमिक, निःशुल्क और समुदाय के करीब हैं।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) भारत की आबादी के निचले 40% हिस्से में शामिल 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। हाल ही में, केंद्र सरकार ने पीएम जेएवाई के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत सभी को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ अस्पतालों/संस्थानों में किफायती दवाइयाँ और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) फ़ार्मेसी स्टोर स्थापित किए गए हैं।

(ङ): जी नहीं। इस मंत्रालय के पास ऐसा कोई अध्ययन विचाराधीन नहीं है।

*****